मीरजापुर पुलिस
—प्रेस नोट—

दिनांकः 20.12.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चोरी के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गई 03 वर्ष की अवधि के कारावास की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर चोरी की घटना से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई। अभियोजन अधिकारी-एपीओ नीरज, विवेचक उप-निरीक्षक विनोद कुमार यादव, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी धनश्याम व सुबेदार यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी राजबहादुर प्रसाद द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर-प्रज्ञा सिंह ।।। द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1371/2009 धारा 379,411 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त सलीम नट पुत्र कलीम नट निवासी बसहीकलां थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को 03 वर्ष के कारावास की सजा सुनायी गई। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गई अवधि समायोजित की जायेगी।